



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title: सार्वजनिक सूचना

Reference No.:---

Date: 06/10/2020

अनधिकृत संस्थाओं द्वारा चिकित्सा उपचार या नैदानिक परीक्षणों पर छूट प्रदान कर स्वास्थ्य योजनाओं की बिक्री करते हुए व्यापार करना

संदर्भ सं / Ref. No:- दिनांक / Date : 06-10-2020

सार्वजनिक सूचना
PUBLIC NOTICE

अनधिकृत संस्थाओं द्वारा चिकित्सा उपचार या नैदानिक परीक्षणों पर छूट प्रदान कर स्वास्थ्य योजनाओं की बिक्री करते हुए व्यापार करना

Unauthorized entities professing to be selling health plans by offering discounts on medical treatments or diagnostic tests

प्राधिकरण के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ अनधिकृत संस्थाएं चिकित्सा उपचार और नैदानिक परीक्षणों पर छूट प्रदान कर स्वास्थ्य योजनाओं की बिक्री करती हुई व्यापार कर रही हैं। एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल आईआरडीएआई द्वारा पंजीकृत कंपनियाँ, या उनके प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेंट) और आईआरडीएआई द्वारा पंजीकृत मध्यवर्ती संस्थाएं ही बीमा उत्पाद की बिक्री कर सकती हैं। जो व्यक्ति अनधिकृत व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से ऐसी सेवाएं ले रहे हैं वे सभी स्वयं के जोखिम पर ऐसा कर रही हैं। आईआरडीएआई द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों की सूची www.irdai.gov.in पर देखी जा सकती है। संदेह की स्थिति में, ग्राहक, बीमा योजना और इसके बिक्रेता की वास्तविकता जानने के लिए बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

It has come to the notice of the Authority that some unauthorized entities are professing to be selling health plans by offering discounts on medical treatments or diagnostic tests. It is hereby clarified that only the IRDAI registered insurance companies, or their authorized agents and intermediaries registered by IRDAI can sell insurance products. Individuals who avail such services from unauthorized persons or entities shall be doing so at their own risk. The list of insurance companies recognized by IRDAI may be seen at www.irdai.gov.in. In case of doubt, the customers may contact the insurance company to ascertain the genuineness of the insurance plan and of the selling person.